झारखण्ड सरकार

**परिवहन विभाग**

भूतल, एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

# ।। प्रेस विज्ञप्ति ।।

झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या–2993, दिनांक–28.08.2020 के अनुसार Containment Zone के बाहर **"राज्य के अंदर बस द्वारा सार्वजनिक परिवहन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है।" राज्य में परिवहन के संबंध में भाड़े की टैक्सी के लिए विभागीय पत्रांक–1046, दिनांक–19.05.2020, ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई–रिक्शा/मेनुअल रिक्शा के लिए विभागीय पत्रांक–1204, दिनांक–01.06.2020 तथा निजी वाहन के लिए विभागीय पत्रांक–1232, दिनांक–04.06.2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत है। इस क्रम में बस परिचालन के लिए सभी बस मालिक/ऑपरेटर एवं आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्त्तों के साथ राज्य के अंदर बस चलाने की अनुमति होगी :–**

1. **किसी भी Covid Positive व्यक्ति तथा जिन व्यक्तियों का Covid Test Sample लिया गया है, उन्हें Covid Test Report आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।**
2. बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत् निबंधित एवं निश्चित रूट पर सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन पास माना जायेगा।
3. बसें अपने परमिट प्राप्त रूटों पर चलायी जायेगी तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रूकेगी। इनका अनुपालन नहीं करने से Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
4. यात्रियों को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा, परन्तु फेस शील्ड पहनना सबसे सुरक्षित रहेगा।
5. ड्राईवर तथा कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा।
6. वाहनों में बैठने के समय सभी को Social Distancing का पालन करना अनिवार्य होगा। वाहन रूकने के स्थान पर लोगों के उतरने, चढ़ने के समय भी Social Distancing का अनुपालन करना होगा, इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे। बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जाँच की व्यवस्था वाहन मालिकों द्वारा की जायेगी तथा सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्यिों को यात्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन यात्रियों को सलाह दिया जायेगा कि वे अविलम्ब चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करें।
7. यात्रा के दौरान चालक/यात्रियों द्वारा धुमपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
8. यात्रा के दौरान हाथों से अनावश्यक मुँह, आँख, नाक आदि न छुएँ। सार्वजनिक स्थानों/बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र–तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
9. यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप Install करें एवं उन्हें On रखे।

10. यात्रा करने वाले सभी लोगों से अपील की जाती है कि घर पहुँचने पर अपने कपड़े बदल कर उन्हें साफ कर स्नान अवश्य करे तथा कुछ दिनों तक घर के वृद्ध व्यक्तियों/रोगग्रस्त व्यक्तियों से Social Distancing बनाकर रखे, ताकि संक्रमण की संभावना को रोका जा सके।

11. यात्रा के दौरान पानी की उपलब्धता होने पर खाने/पीने के पूर्व अपने हाथ साबुन से धोएँ एवं पानी की उपलब्धता नहीं होने पर सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज करें।

12. बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सैनिटाइज करना होगा एवं पूरी बस को सोडियम हाईपोक्लोराइड जैसे रसायनों से Disinfect करना होगा।

13. बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग–अलग रखने होंगे अथवा अलग–अलग दरवाजे नहीं रहने पर निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग–अलग समय पर अनुमति देनी होगी, इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे।

14. यात्रियों से अनुरोध है कि वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें एवं बस कंडक्टर इसका ध्यान रखें। साथ ही, यात्रा के दौरान अपने सामान डिक्की में रखना अनिवार्य होगा।

15. पैंसठ (65) वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और दस (10) वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

16. बसों में निम्नलिखित रूप से सीटों का संख्याकन करना होगा तथा सीट के अनुरूप ही यात्री, यात्रा कर पायेंगे, सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा।

| क्र0 सं0 | बसों के प्रकार | अधिकतम सीट | अनुमान्य यात्री |
|---|---|---|---|
| 1 | बड़ी बसें | 52 | 26 |
| 2 | बस | 48 | 24 |
| 3 | छोटी बस | 32 | 16 |
| 4 | मिनी बस | 22 | 11 |
| 5 | मैक्सी कैब/ओमनी बस | 12 | 6 |

17. बस के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में निम्न प्रपत्र में दर्ज करनी होगी एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

**प्रपत्र**

| क्र० सं० | दिनांक | यात्री का नाम | पूरा पता | कहाँ से कहाँ यात्रा करना है। | मोबाईल न० |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

18. यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले बसों का निबंधन संख्या एवं यात्रा की तिथि निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे Contact Tracing के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

19. बस मालिक रूटवार एवं तिथिवार ड्राईवरों/सहायकों का नाम एवं मोबाईल न० सुरक्षित रखेंगे एवं प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर Contact Tracing के लिए उपलब्ध करायेंगे।

20. ड्राईवर के केबिन में यात्रियों का प्रवेश नहीं होगा, न ही कोई यात्री उस केबिन में बैठेंगे। बसों में ड्राईवर का केबिन नहीं रहने पर प्लास्टिक/पर्दे से ड्राईवर केबिन तैयार कर उन्हें यात्रियों के सम्पर्क से अलग रखना अनिवार्य।

**जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले कार्य :–**

21. वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएँगे उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ–साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
22. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वाहन मालिकों को सड़क सुरक्षा एवं COVID-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियाँ संबंधी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा।
23. बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे, जिसके माध्यम से COVID-19 के संक्रमण से बचाव सम्बंधी उपायों को प्रसारित कराएँगे। साथ ही, लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र–तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी।
24. नगर निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ–सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
25. Containment Zone में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना, खाना–पीना एवं अन्य क्रियाओं के साथ घूमना–फिरना प्रतिबंधित रहेगा।
26. ये शर्त्तें विश्वव्यापी कोरोना संकट से निबटने एवं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए है। इनका अनुपालन नहीं करने से Disaster Management Act एवं MV Act के तहत कार्यवाही की जाएगी।

सभी यात्रियों/बस चालकों/मालिकों से अनुरोध है कि वे उक्त शर्त्तों का पालन करें।

29/8/2020

सचिव,
परिवहन विभाग।